आउटकम बजट 2023–24

बिन्दु संख्या–2 विभाग द्वारा प्रस्तावित (वर्ष 2023–24) प्रत्येक योजना के सम्बंध में सूचना

विभाग का नाम– ग्राम्य विकास विभाग

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1.04.2022 की वास्तविक (**भौतिक स्थिति**)	31.3.2023 की सम्भावित स्थिति (**भौतिक**)	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटपुट वर्ष **2023–24**	परिकल्पित (प्रोजेक्टड) आउटकम **2023–24**	आउटकम हेतु सम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					केन्द्र पोषित योजना				
1	आजीविका (डे–एन.आर. एल.एम.)	समस्त ग्रामीण निर्धन परिवारों तक पहुंच बनाना और उन्हें आजीविका के स्थाई अवसर मुहैया कराना है, उस समय तक उनका पोषण एवं संरक्षण किया जायेगा जब तक वे गरीबी से उपर उठकर एक सम्मानजनक जीवन न जीने लगे	19125.00	--	स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 36264 ग्राम संगठन की स्थापना– 4255 कलस्टर लेबिल फैडरेशन – 258 बुक कीपर प्रशिक्षण– 33316 आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित–1608 स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना– 36264 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड– 33316 स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना– 18317 स्वंय सहायता समूहों का बैंक लिंकेज– 29308	स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 56264 ग्राम संगठन की स्थापना– 5755 कलस्टर लेबिल फैडरेशन – 353 बुक कीपर प्रशिक्षण– . 39316 आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित– 1780 स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना– 56264 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड– 39316 स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना– 24317 स्वंय सहायता समूहों का बैंक लिंकेज– 45308.	• स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 5000 • ग्राम संगठन की स्थापना– 1200 • कलस्टर लेबिल फैडरेशन – 120 • बुक कीपर प्रशिक्षण– 8500 • आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित– 120 • स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना– 5000 • स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड– 8000 • स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना– 8000 • स्वंय सहायता समूहों का बैंक लिंकेज– 10000	24317 स्वयं सहायता समूहों के 1.25 लाख सदस्यों को आजीविका संवर्द्धन से जोड़ा जायेगा।	**मार्च, 2024**
1.1	आजीविका (डे–एन.आर. एल.एम.)– स्टार्ट–अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP)	योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने में सहायता करके गांवों में आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर करने के सरकार के प्रयासों को क्रियान्वित करना।	250.00		• प्रथम चरण के • विकासखण्डों में बेस लाईन सर्वे पूर्ण। • सी.आर.पी.ई.पी. चयन • बी.आर.सी. कार्यालय स्थापना • 1244 उद्यमों की स्थापना पूर्ण कर दी गयी है।	• 1928 उद्यमों की स्थापना पूर्ण दिसम्बर, 2023 तक 527 उद्यम स्थापित किये जायेगे।	• ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापना – 250 द्वितीय चरण के विकासखण्डों में। • बेसलाईन सर्वे द्वितीय चरण के विकासखण्डों में।	ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापना – 250	**मार्च, 2024**

1.2	आजीविका (डे–एन.आर. एल.एम.)– महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP)	योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि में व्यवस्थित निवेश करके महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना है ताकि उनकी भागीदारी और उत्पादकता को बढ़ाया जा सकें ओर साथ ही ग्रामीण महिलाओं की कृषि आधारित आजीविका सृजित किया जा सकें और उसे जारी रखा जा सकें।	150.00		प्रथम चरण के 4016 विकासखण्डों में बेस लाईन सर्वे	• 5016 महिला किसानों का चयन कर कार्य प्रारम्भ • 294 कृषि एवं पशु सखी का चयन	• प्रथम चरण में 5016 महिला किसानों का प्रशिक्षण किया जायेगा • लोकल ग्रुप – 10 सी.एच.सी.– 162	1250 महिला किसानों को प्रशिक्षित कर इनका आजीविका संवर्द्धन किया जायेगा।	**मार्च, 2024**
1.3	स्वयं सहायता समूह महिला एवं परिवार के सदस्यों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु प्रशिक्षण	स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है।	200.01						**मार्च,2024**
2	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	ग्रामीण गरीब परिवारों के युवक–युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराना।	4666.00		वित्तीय वर्ष 2023 तक 25000 युवक–युवतियों के प्रशिक्षण के लक्ष्य के सापेक्ष 13654 युवक–युवतियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष 01.04.2022 तक 8114 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण करते हुए 2375 अभ्यर्थियों को रोजगार से जोडा जा चुका है।	17453 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जायेगा है जबकि 8930 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण उपरांत रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।	योजना को पूर्ण किये जाने की अवधि माह मार्च 2023 तक है। .	ग्रामीण गरीब परिवारों के युवक–युवतियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराते हुए गरीब परिवारों का सतत् रुप से सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन किया जायेगा।	**मार्च, 2024**
3	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के अन्तर्गत चयनित क्लस्टरों में विकास	अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांवों के क्लस्टर को '**रर्बन गांवों**' के रूप मे. विकसित करना'	0.02	––	फेज–1, 2 तथा 3 के अन्तर्गत कलस्टर जनपद हरिद्वार के भगतनपुर –आबिदपुर, देहरादून के रानीपोखरी कलस्टरों, जनपद टिहरी के धनौल्टी, उत्तरकाशी के डुण्डा कलस्टर, जनपद उ0 सिह नगर के पहेनिया तथा जनपद वागेश्वर के कौशानी की डी0पी0आर0 पर अनुमोदनोपरान्त सभी कलस्टरों में कार्य गतिमान है।	मार्च, 2023 तक फेज–1, 2 तथा 3 के अर्न्तगत चयनित सभी कलस्टरों में कुल 790 कार्य स्वीकृत थे जिसके सपोक्ष 652 कार्य पूर्ण कर लिये गये है।	योजना को माह मार्च 2023 तक पूर्ण किया जाना है।	रुर्बन कलस्टरों में आवासित जनमानस को सामुदायिक विकास के दृष्टिगत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा आजीविका सृजन कार्यक्रम, अवस्थापना विकास।	**मार्च, 2024**
4	डी0आर0डी0ए0 प्रशासनिक मद	डी0आर0डी0ए0 के अर्न्तगत गठित गरीबी उन्नमूलन प्रकोष्ठ के कर्मचारियों/ अधिकारियों के वेतन आदि का भुगतान किया जाना	––	––	––	––	––	––	**मार्च, 2024**

5	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	पंजीकृत ग्रामीण परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के इच्छुक हों, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार गारंटी। निर्धनों के आजीविका संसाधनों के आधार को सुदृढ़ करना। सामाजिक समावेशन को अतिसक्रियता से सुनिश्चित करना। पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ करना।	52155.31	––	243.22 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए 5.73 लाख परिवारों के 7. 92 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा 30944 परिवारों द्वारा 100 दिन का रोजगार पूर्ण किया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजना ने जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना एवं व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों के रूप में आजीविका संवर्द्धन तथा कृषि क्षेत्र के विकास में अप्रत्यक्ष रूप से भी योगदान किया।	मार्च, 2023 तक 200. 00 लाख मानव दिवस सृजित किये जायेगे।	कुल 200.00 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जाएगा तथा कुल धनराशि ₹ 710.00 करोड़ का व्यय किया जायेगा।	1) श्रम रोजगार – स्थानीय स्तर पर 6.00 लाख परिवारों को श्रम रोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ 1.50 लाख कार्य कराये जायेंगे। 2) आजीविका संवर्द्धन –लगभग 30000 लाभार्थियों को उद्यान, चाय तथा अन्य गतिविधियों से लाभान्वित कर आजीविका से जोड़ा जायेगा।	**मार्च, 2024**
6	प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण	आवास प्लस सूची के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में पीएमएवाई–जी हेतु पात्र पाये गये सभी बेघर, कच्चे तथा जीर्ण–शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधा से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना।	31874.97	––	––– (तत्समय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार स्तर से आवास प्लस सूची से आंवटित लक्ष्यों का आवास सॉफ्ट पर ग्राम पंचायतवार लक्ष्य आवंटित नहीं हुआ था।)	आवास प्लस सूची से प्राप्त लक्ष्यों के सापेक्ष कुल 16048 आवास पूर्ण किये जायेगे।	• आवास प्लस सूची से वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु भारत सरकार से 18602 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसके सापेक्ष 15700 आवास स्वीकृत किये गये हैं। • वित्तीय वर्ष 2021–22 के 3073 के सापेक्ष लक्ष्य की पूर्ति हेतु कुल रू. 3994.90 लाख की आवश्यकता होगी। • इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु कुल रू. 28177.5 लाख की आवश्यकता होगी।	आवास प्लस स्थाई प्रतीक्षा सूची मेंसम्मिलित पात्र ग्रामीण परिवारों को शासकीय अनुदान देकर बुनियादी सुविधा युक्त पक्के मकान के निर्माण से लाभार्थी परिवारों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा।	आवास स्वीकृति की तिथि से 01वर्ष के अन्तर्गत आवास पूर्ण कराने का लक्ष्य
7	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम फण्ड	ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी के सभी असंयोजित बसावटों (कोर नेटवर्क)को सर्वऋतु मार्गों से संयोजित किया जाना है	--	100000.02	उक्त योजना के अन्तर्गत 18628 किमी0 मार्गो का निर्माण किया गया तथा 1812 बसावटों को संयोजकता प्रदान की गई है।	558 किमी0 लम्बे मार्गो का निर्माण किया गया है तथा 20 बसावटों को संयोजकता प्रदान की गई है। मार्च, 2023 तक 912 किमी0 लम्बे मार्गो का निर्माण कर 34 बसावटों को संयोजकता प्रदान की जायेगी।	1300 किमी0 लम्बे मार्गो का निर्माण किया जना प्रस्तावित है।	ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी की समस्त बसावटों को बारहमासी मार्गो से सम्पर्क प्रदान किया जायेगा ताकि उनकी आर्थिक एवं समाजिक सेवाओं तक पहुंच हो सके एवं कृषि आय और लाभदायक रोजगार के अवसरों का अधिक मात्रा में सृजन हो सके।	**मार्च, 2024**
8	राष्ट्रीय बायोगैस	ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयत्रों की स्थापना किया जाना।	0.02	--	योजनान्तर्गत 390 बायोगैस संयत्र स्थापित	योजनान्तर्गत 100 बायोगैस संयत्र	300 परिवारों की ईधन की आवश्यकता की पूर्ति की जायेगी	300 परिवारों की ईधन की आवश्यकता की	**मार्च, 2024**

	कार्यक्रम				किये गये।	स्थापित किये जायेगे।		पूर्ति करते हुये महिलाओं के स्वास्थय में गुणात्मक सुधार एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार किया जायेगा।	
9	सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी)	राज्य के 5 सीमान्त जिलो के सीमान्त क्षेत्रों में आवासित जनमानस को मूलभूत सुविधाये उपलब्ध कराये जाने हेतु अवस्थापना विकास	--	4000.00	वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 219 के सापेक्ष 216 कार्य पूर्ण कर लिये गये है। वित्तीय वर्ष 2020–21 मे 273 कुल कार्यो के सापेक्ष 195 कार्य पूर्ण किये गये है।	वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 219 के सापेक्ष 219 कार्य पूर्ण कर लिये जायेगें। वित्त्तीय वर्ष 2020–21 मे 273 कुल कार्यो के सापेक्ष 273 कार्य पूर्ण कर लिये जायेगा।	सीमान्त विकास खण्डो के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 0–10 किमी के ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं यथा–स्वास्थ्य, सडक एवं पुलें, डीडब्लूएस, शिक्षा, कृषि, खेलकूद गतिविधियों, सामाजिक क्षेत्र, मॉडल गॉव, एम0एस0एम0ई0, आदि सेक्टर सीमान्त क्षेत्रों के जनमानस को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता हेतु गृह मत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के क्रम में माह मार्च 2023 तक वर्तमान में कुल गतिमान कार्यो को पूर्ण कराया जाना है।	सीमान्त विकास खण्डो (09) के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 0–10 किमी के ग्रामों में आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास के माध्यम से सीमान्त क्षेत्रों के जनमानस को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।	**1 वर्ष**
10	राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना	विभिन्न विकास खण्डों के जे.ई. मनरेगा, बी.एफ.टी. एवं रोजगार सेवक तथा विभिन्न स्वयं सहायता समूहो, युवा/महिला मंगल दल, ग्राम संगठन के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केंद्रांश की धनराशि के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश।	0.02	--	वित्तीय वर्ष 2021–22 में 50 प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्रांश एवं राज्यांश के सापेक्ष प्राप्त धनराशि से आयोजित किये गये जिसमें 1543 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।	भारत सरकार की गाईडलाईन के मार्च 2023 तक 50 प्रशिक्षण पूर्ण करवाते हुए 1250 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है।	लगभग 50 प्रशिक्षण देकर 1250 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जायेगा ।	क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण विकास योजना का नियोजन एवं क्रियान्वयन, पेयजल एवं स्वच्छता, बहुस्तरीय नियोजन, शासकीय व अर्द्धशासकीय कर्मचारियों का रिफ्रेशर सम्बंधी प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहो, महिला मंगल दल के सदस्यों हेतु आय सर्जन गतिविधियों हेतु बुनियादी सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी।	**मार्च,. 2024**
राज्य पोषित योजना									
1	विधायक निधि	प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना।	--	35857.50	10387 कार्य पूर्ण किये गये।	1200 कार्य पूर्ण किये किये जायेगे।	क्षेत्रीय असंतुलन को दृष्टिगत रखते हुये मा0 विधायकों द्वारा संस्तुत विभिन्न विकास सम्बंधी कार्य किये जायेगें।	मा0 विधायकों द्वारा संस्तुत योजनाओं/कार्य की स्वीकृति के पश्चात स्थानी स्तर पर विभिन्न विकास सम्बंधी मूलभूत आवश्कताओं की पूर्ति की जायेगी एवं क्षेत्रीय	**मार्च, 2024**

								असंतुलन को दूर किया जायेगा।	
2	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एन.पी.वी.)	योजनान्तर्गत मार्गो के समरेखण में आनेवाली एन0पी0वी एवं निजी भूमि, भवन फसल क्षतिपूर्ति एवं शासकीय क्षतिपूर्ति मुआवजा। तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण सम्पर्क मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थान पर वृक्षारोपण करने हेतु	--	6900.00	815 मार्गो के निर्माण में आ रही वन भूमि हेतु एन0पी0वी का भुगतान किया गया है। निर्मित/निर्माणाधीन मार्गो पर निजी भूमि का प्रतिकर का भुगतान किया गया है।	03 मार्गो के निर्माण में आ रही वन भूमि हेतु एन0पी0वी भुगतान किया गया है। निर्मित/निर्माणाधीन मार्गो पर निजी भूमि/निजी सम्पत्तियों का प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।	03 मार्गो के निर्माण में आ रही वन भूमि हेतु एन0पी0वी का भुगतन किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त निर्मित/निर्माणाधीन मार्गो पर निजी भूमि/निजी सम्पत्तियों का प्रतिकर का भुगतान भी किया जाना प्रस्तावित है।	–तदैव–	**मार्च, 2024**
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (आधिक्य भुगतान)	निविदाएं/विचलन आदि मदों हेतु	--	37500.02	1866 मार्गो का निर्माण पूर्ण किया गया है।	408 कार्य पूर्ण किये गये हैं। मार्च, 2023 तक कुल 418 कार्य पूर्ण किये जायेगे।	80 मार्गो का निर्माण पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त दिनांक 30.09.2022 के पश्चात अवशेष 496 प्रगतिरत कार्यो को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।	–तदैव–	**मार्च, 2024**
4	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित मार्गो के अनुरक्षण का भुगतान	योजनान्तर्गत सड़कों की मरम्मत हेतु	4300.00	--	लगभग 7000 किमी0 लम्बें मार्गो का अनुरक्षण किया गया है।	लगभग 6300 किमी0 लम्बे मार्गो का अनुरक्षण किया जायेगा।	लगभग 7717 किमी0 लम्बें पूर्ण मार्गो का अनुरक्षण किया जाना प्रस्तावित है।	योजना अन्तर्गत निर्मित मार्गो को अनुरक्षण किया जना हैं जिससे निर्मित मार्गो पर यातायात को सुचारु रखा जा सके।	**मार्च, 2024**
5	पी.एम.जी.एस. वाई के अर्न्तगत सैटेज चार्ज तथा पी.एम.सी. का भुगतान	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत कार्यो के कियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समय अन्तर्गत पूर्ण करने हेतु एन0पी0सी0सी के 08 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्डं एवं वैपकास के 04 खण्डं की सेवाएं ली गई है। उक्त सेवाओं के सापेक्ष सैन्टैज चार्ज के भुगतान हेतु।	2800.00	--	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत कार्यो के कियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु पी0एम0सी0 एवं एन0पी0सी0सी के 08 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्डं एवं वैपकास के 04 खण्डं की सेवाएं ली गई है। उक्त सेवाओं के सापेक्ष पी0एम0सी0 एवं सैन्टैज चार्ज के सापेक्ष रु0 60.73 करोड का भुगतान किया गया है।	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत कार्यो के कियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु पी0एम0सी0 एवं एन0पी0सी0सी के 08 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्डं, वाप्कोस के 04 खण्डों एवं ब्रिज एण्ड रुफ के 02 खण्डों की सेवाएं ली गई है। उक्त सेवाओं के सापेक्ष सैन्टैज चार्ज एवं पी0एम0सी0 के भुगतान हेतु वर्ष– 2022–23 में रु0 18.94 करोड का व्यय किया गया है।	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत कार्यो के कियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु एन0पी0सी0सी के 08 खण्ड, ब्रिडकुल के 04 खण्डं एवं वैपकास के 04 खण्डों की सेवाएं ली गई है। उक्त सेवाओं के सापेक्ष सैन्टैज चार्ज के भुगतान हेतु वर्ष– 2023–24 में रु0 30.00 करोड का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत कार्यो के कियान्वयन में गति लाने तथा लक्ष्यों का समयाअन्तर्गत पूर्ण करने हेतु।	**मार्च, 2024**
6	यू.आर.आर.डी.ए. के अन्तर्गत नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाऐं	जनपद पिथौरागढ़ में नाबार्ड पोषित कार्यों हेतु	--	0.01	जनपद पिथोरागढ के धारचूला में 98.50 किमी0 लम्बें मार्गो का निर्माण पूर्ण किया गया है तथा 11 बसावटों को संयोजकता प्रदान की गई है।	01 मार्ग का कार्य शेष है जिसका वाद न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण वर्तमान वर्ष में प्रगति शून्य है।	04 किमी0 लम्बे मार्गो का निर्माण किया जना प्रस्तावित है तथा 01 बसावट को संयोजकता प्रदान की जानी प्रस्तावित है।	जनपद पिथौरागढ के धारचूला में असयोंजित बसावटों को बारहमासी मार्गो से सम्पर्क प्रदान किया जायेगा ताकि उनकी आर्थिक एवं समाजिक सेवाओं तक पहुंच हो सके एवं कृषि आय और लाभदायक	**मार्च, 2024**

								रोगार अवसरों का अधिक मात्रा में सृजन हो सके।	
7	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आपातकालीन निधि	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित/निर्माणधीन मार्गो में अत्यधिक वर्षा एवं हिमपात के कारण मार्गो के अवरूद्ध होने पर उनको यातायात के सुचारु संचालन हेतु तुरन्त Emergency कार्य कराने होते है। इसके अतिरिक्त दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए मार्गो की मरम्मत/Restoration के कार्य भी कराने हेतु है।	--	1000.00	132 क्षतिग्रस्त मार्गो की पुर्नस्थापना की गई है।	18 क्षतिग्रस्त मार्गो की पुर्नस्थापना की मार्च, 2023 तक की जायेगी।	20 क्षतिग्रस्त मार्गो की पुर्नस्थापना की जानी प्रस्तावित है।	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित/निर्माणधीन मार्गो में अत्यधिक वर्षा एवं हिमपात के कारण मार्गो के अवरूद्ध होने पर उनको यातायात के सुचारु संचालन हेतु तुरन्त Emergency कार्य कराने होते है। जिससे मार्गो पर यातायात को सुचारु रखा जा सके।	**मार्च, 2024**
8	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु अनुदान	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों पर विकास विभागों से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं परियोजना से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त रोजगार एवं स्वरोज़गार परक कार्यक्रमों, जलागम, आई.सी.डी.एस. सम्बन्धी कार्यक्रमों, त्रिस्तरीय पंचायतीराज के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। जिस हेतु रू0 5.00 प्रति प्र.प्र.के. की दर से कुल रू0 40.00 लाख अगले वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तावित है।	40.00	--	——	माह मार्च, 2023 तक 260 प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु 481 प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हुये कुल 15687 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।	लगभग 340 प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु लगभग 500 प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हुये लगभग 15900 पंचायतीराज प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, कृषक एवं स्थानीय बेरोजगार युवक–युवतियों तथा विभिन्न राजकीय अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।	क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं जिससे कार्यालय प्रबन्धन में ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज कार्मिकों के कौशल एवं कार्य दक्षता में वृद्धि।	**मार्च, 2024**
9	यू0आर0आर0 डी0ए0 के कार्यालय भवन का निर्माण	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यो के सुचरु कियान्वयन हेतु ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत अवस्थापित ऐंजंसी (यू0आर0असा0डी0ए0) के कार्यालय भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।		0.01			भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया गतिमान है। कार्यदायी संस्था का चयन होने पर प्राविधानित धनराशि अवमुक्त कर निर्माण कार्य कराया जायेगा।	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यो के सुचरु कियान्वयन हेतु ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत अवस्थापित ऐंजंसी (यू0आर0असा0डी0ए0) के कार्यालय भवन हेतु वर्ष–2023–24 में रु0 84.00 करोड की धनराशि का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	**मार्च, 2024**
10	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में आवासीय/ अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु।	--	100.00	रू. 20.00 लाख व्यय प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र पौडी के गैस्ट हाउस के निर्माण हेतु अवमुक्त किया गया।	——	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र पौडी में टाईप–2, 3 एवं 4 के आवासी भवनों का निर्माण शंकरपुर में महिला छात्रावास का निर्माण एवं प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र थरकोट में कार्यालय भवन	अनावासीय भवन के निर्माण से कार्मिकों को बेहत्तर कार्य वातावरण उपलब्ध होगा तथा अनावासीय भवनों के निर्माण से कार्मिकों को	**मार्च, 2024**

							निर्माण किया जायेगा। इस प्रकार कुल 463.25लाख प्रस्तावित	आवासीय सुविधा प्राप्त होगी।	
11	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान प्रशिक्षण की स्थापना	यू0आई0आर0डी0पी0आर0 के आवासीय/अनावासीय भवनों की मरम्मत हेतु।	100.00		वित्तीय वर्ष 2021–22 संस्थान परिसर में अवस्थित अनावासीय भवनों की बृहत्त मरम्मत, शीलन निवारण, रंगाई पुताई एवं रखरखाव का कार्य हेतु राज्य सरकार से धनराशि प्राप्त नहीं हो पायी।	वित्तीय वर्ष 2022–23 में धनराशि रू. 93.80 लाख से अनावासीय भवनों में मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य पूर्ण करवाया जाने प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। प्रेषित प्रस्तावानुसार रू 50. 00 लाख राज्य सरकार से प्राप्त प्राप्त हो चुका है।	वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनावासीय एवं आवासीय भवनों की मरम्मत एवं कम्प्यूटर अनुरक्षण मद में 101.00 लाख प्रावधान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।	संस्थान परिसर में अवस्थित अनावासीय एवं आवासीय भवनों की बृहत्त मरम्मत, शीलन निवारण, रंगाई पुताई, फर्श की मरम्मत कार्य से भवनों का उचित रखरखाव होगा एवं संस्थान कम्प्यूटर लैब में कम्प्यूटरों का उचित रखरखाव होगा।	**मार्च, 2024**
12	राज्य स्तरीय ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम	ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज के विभिन्न अधिकारियों एवं लिपिक/लेखा संवर्गीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु	70.00		वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य से प्रशिक्षण हेतु प्राप्त धनराशि के सापेक्ष 29 प्रषिक्षण प्रदान करते हुए 888 प्रषिक्षणार्थियों को प्रषिक्षित किया गया। प्राप्त धनराशि के व्यय उपरान्त अवशेष धनराशि ब्याज सहित राज्य सरकार को समर्पण कर दी गयी।	31 मार्च, 2023 तक 23 प्रशिक्षण पूर्ण करवाते हुए 1280 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जायेगा ।	प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावानुसार अवमुक्त धनराशि से 23. प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जायेगें जिसमें लगभग 1300 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है ।	क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम, रिफ्रेशर प्रशि0, जलागम विकास सम्बंधी प्रशिक्षण एवं नयी योजनाओं के संचालन, कार्यालय प्रबन्धन में ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज कार्मिकों के कौशल एवं कार्य दक्षता में वृद्धि।	**मार्च, 2024**
13	मेरा गॉव मेरी सड़क	राज्य के दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को आम जनमानस से जोड़ने तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पलायन की रोकथाम, आजीविका उपलब्ध कराना तथा गांव की पैदावार को बाजार उपलब्ध कराना	-	1386.42	102 सड़कों में से 21 सड़कें पूर्ण कर ली गयी है तथा 24.05 कि०मी० सड़कों का निर्माण किया गया था। शेष सड़कें वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूर्ण कर ली जायेगी।	योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक कुल अवमुक्त धनराशि रु० 2994. 33 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक रु० 2219.00 लाख व्यय किया गया है। योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत 102 सड़कों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक 50 सड़कें पूर्ण एवं 47 सड़कों पर कार्य प्रगति पर है तथा 3 सड़कों का कार्य अभी अनारम्भ है जिसमें 57. 45 कि०मी० सड़क निर्मित की गई हैं। शेष सड़कों पर माह मार्च 2022–23 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। जनपद देहरादून तथा पिथौरागढ़ की 1–1 सड़कों की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास को वापिस कर दी गयी है।	योजनान्तर्गत प्रति विकासखण्ड 1–1 किमी की दो सडक माहात्मा गॉधी नरेगा के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से बनायी जायेंगी जिसकी 50 प्रति0 धनराशि मनरेगा से एवं 50 प्रति0 धनराशि मेरा गॉव मेरी सडक से वहन किया जायेगा। योजनान्तर्गत लम्बाई 01 किमी. सडक निर्मित करते हुये 6213.92 लाख राज्यांश की धनराशि एवं 17.50 लाख मानव दिवस सृजित किये जायेगे।	सडकों के निर्माण से एक ओर जहॉ स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा होगी वहीं दूसरी ओर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध होगे जिससे उनकी आजीविका में सुधार होगा।	**मार्च, 2024**

14	सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण	राज्य सरकार द्वारा सीमान्त क्षेत्र अनुश्रवण परिषद हेतु मा0 उपाध्यक्ष एवं उनके निजी स्टाफ के मानदेय/वेतन आदि के भुगतान हेतु।	20.00	––		––	––	–	**मार्च, 2024**
15	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई प्रशासनिक व्यय	ग्राम्य विकास विभाग के अधीन संचालित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा ग्राम्य विकास कार्यक्रमों की मूल्यांकन/ अनुश्रवण हेतु गठित प्रकोष्ठ के वेतन भत्तों एवं प्रशासनिक व्यय आदि हेतु	––	––	–	––	––		**मार्च, 2024**
16	इन्दिरा अम्मा भोजनालय अर्न्तगत सब्सिडी	समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में सस्ते भोजन की कैंटीन की व्यवस्था की गयी है जिसका नाम ''इन्दिरा अम्मा भोजनालय'' हैं उक्त कैंटीन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित की जायेगी	200.00	-	रू. 44.49 लाख की धनराशि अनुदान के रूप में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की गयी।	21 कैंटीनों के माध्यम से समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग के 610354 थालियॉ वितरित की जायेगी	21 कैंटीनों के माध्यम से सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जायेगा जिससे स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध होगा। समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।	समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध होगा तथा स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध होगा।	**मार्च, 2024**
17	रूरल विजनेस इन्क्यूबेटर्स की स्थापना	नई पहल के रूप में राज्य द्वारा आइफेड के वित्तीय सहयोग से दो रूरल विजनेस इन्क्यूबेटर्स की स्थापना क्रमश जनपद पौडी के दुगड्डा विकास खंड के कोटद्वार तथा जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में की जा रही है।	1000.00	.	रूरल विजनेस इन्क्यूबेटर के तहत राज्य में दो इन्क्यूबेटरों क्रमशः जनपद पौडी के कोटद्वार एवं जनपद अल्मोडा के हवालवाग में स्थापित किये जा चुके है।	कुल 1327 इन्क्यूबेटीज के आवेदन प्राप्त हुये जिसमें से 480 इन्क्यूबेटीज का चयन किया गया एवं इन्हे इन्क्यूबेशन सहयोग प्रदान किया जा रहा है तथा बिजनेस प्लान तैयार किये गये। विपणन हेतु 30 बिजनेस पार्टनरर्स का चयनित। 12 जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। 51 उद्यमिता विकास कार्यशाला आयोजित की गई।	480 इन्क्यूबेटीज को इन्क्यूबेशन सहयोग (विजनेस प्रशिक्षण, बिजनेस कार्ययोजना बनाना, विपणन सहयोग, मेंटसशिप सहयोग, विधिक सहयोग आदि) प्रदान करते हुये स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा।	इन्क्यूबेटीज को इन्क्यूबशन सहयोग सतत स्वरोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।	**02 वर्ष**
18	मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना	योजना का मुख्य उद्देश्य पलायन तथा ग्राम्य विकास आयोग द्वारा चिन्हित 50 प्रतिशत से अधिक पलायन प्रभावित कुल 474 गांवों में आवासित परिवारों /बेरोजगार युवाओं/रिवर्स माइग्रेन्ट्स आदि को स्वरोजगार उपलब्ध कराना।	2500.00		वित्तीय वर्ष 2020–21 मे 367 कार्य स्वीकृत थे जिसके सापेक्ष 120 कर पूर्ण किये गये है तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 345 कार्यो में से 90 कार्य पूर्ण कर लिये है।	वित्तीय वर्ष 2020–21 मे 367 कार्य स्वीकृत थे जिसके सापेक्ष 367 कार्य पूर्ण कर लिये जायेगे तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 345 कार्यो में से 345 कार्य पूर्ण कर लिये जायेगे।	पलायन प्रभावी गॉवों में पलायन रोकथाम हेतु आगामी वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना को ससमय स्वीकृत कर योजना का कियान्वयन किया जायेगा।	पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने तथा वहां पर स्वरोजगार के अवसर पैदा करने हेतु कार्ययोजनाओं का कियान्वयन करते हुये पलायन रोकथाम सुनिश्चित किया जायेगा।	**01 वर्ष**
19	मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना	योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के 05 सीमान्त जनपदो के 09 सीमान्त विकासखंडों में आवासित परिवारों को सतत् आजीविका एवं स्वरोजगार के बेहतर संसाधन		2000.00	सीमान्त विकास खण्डो के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10–50 तक किमी के ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं यथा–स्वास्थ्य, सडक एवं	वित्तीय वर्ष 2020–21 मे 116 स्वीकृत थे जिसके सापेक्ष 116 कार्य पूर्ण कर लिये जायेगे। एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 मे 88	सीमान्त विकास खण्डो के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10–50 तक किमी के ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं से सीमान्त क्षेत्रों के जनमानस को मूलभूत	सीमान्त विकास खण्डो (09) के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 10 से 50 किमी के ग्रामों में आजीविका संवर्धन एवं कौशल	**01 वर्ष**

		उपलब्ध कराते हुये सीमान्त क्षेत्रों में पलायन रोकना है। साथ ही रिवर्स पलायन को बढावा दिया जाना है। यह योजना शत प्रतिशत राज्य पोषित।			पुलें, डीडब्लूएस, शिक्षा, कृषि, खेलकूद गतिविधयों, सामाजिक क्षेत्र, मॉडल गॉव, एम0एस0एम0ई0, आदि सेक्टर सीमान्त क्षेत्रों के जनमानस को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2020–21 मे 116 स्वीकृत थे जिसके सापेक्ष 50 कार्य पूर्ण किये गये है। वित्तीय वर्ष 2021–22 मे 88 स्वीकृत कार्यो के सापेक्ष 14 कार्य पूर्ण किये गये है।	स्वीकृत कार्यो के सापेक्ष 88 कार्य पूर्ण किये गये है।	अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना को ससमय स्वीकृत कर योजना का कियान्वयन किया जायेगा।	विकास के माध्यम से सीमान्त क्षेत्रों के जनमानस को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता तथा स्वरोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।	
20	ग्राम विकास महायोजना	ग्राम पंचायतों को उनकी आवश्यकता के दृष्टिगत निर्धारित अवधि में संतृप्त करने हेतु।	500.00		–	–	ग्राम पंचायतों को उनकी आवश्यकता के दृष्टिगत निर्धारित अवधि में संतृप्त करने हेतु सभी विभागों के संसाधनों को केन्द्राभिसरित कर 5 वर्षों में संतृप्तीकरण कर कार्ययोजना का निर्माण एवं कियान्वयन।	–	**मार्च, 2024**
21	एसएसजी उत्पाादों का विपणन	राज्य स्तर पर एसएचजी एवं रेखीय विभागों की योजनान्तर्गत लाभान्वित ग्रामीणों के स्तर से उत्पादित उत्पादों को बाजार एक ही उत्तरा ब्रॉण्ड से विपणन किये जाने हेतु।	200.00		–	–	राज्य स्तर पर एसएचजी एवं रेखीय विभागों की योजनान्तर्गत लाभान्वित ग्रामीणों के स्तर से उत्पादित उत्पादों को बाजार एक ही उत्तरा ब्रॉण्ड से विपणन किये जाने हेतु राज्य स्तर पर एक एपेक्स बाडी का गठन करने तथा उसकी मार्केटिंग आदि कार्य का गठन।	–	**मार्च, 2024**
22	आईफैड(बाह्य सहायतित) ग्रामीण उद्यम वेगवृद्धि परियोजना	The goal of REAP is to contribute to the doubling of income of rural households and reduce distress rural out migration.	10000.00	––	––	––	• परियोजना अन्तर्गत 461 आजीविका संघ/कलस्टर लेवल फैडरेशनों के माध्यम से 3,50,000 ग्रामीण गरीब परिवारों की उद्यम आधारित आजीविका वृद्वि • परियोजना अन्तर्गत 2000 ग्राम संगठन के	• परियोजना अन्तर्गत 461 कलस्टर लेबल फेडरेशन /आजीविका संघ के किसानों की आय अर्जक गतिविधियों से आच्छादन एवं क्षमता विकास • परियोजना अन्तर्गत चयनित 2000 ग्राम	**मार्च, 2024**

							लाभार्थियों का चयन कर उन्हें कार्यभोझ यंत्र प्रदान करना	संगठन के लाभार्थियों को यंत्रों की उपलब्धता एवं कार्यभोझ में कमी	
							• परियोजना क्षेत्र के 2,15000 परिवारों को बैंक के माध्यम से 221 करोड का बैंको के माध्यम से वित्तीय सहयोग	• परियोजना क्षेत्र के 2,15000 परिवारों को बैंक के माध्यम से 215 आजीविका संघों का वित्तीय उपलब्धता एवं जोखिम क्षमता विकास	
							• मूल्य आधारित श्रृंखलों से जोड़कर 2691 Nano / Micro / Small उद्यम स्थापित किये जाने हेतु सहयोग	• मूल्य आधारित श्रृंखलों से जोड़कर 2691 Nano / Micro/ Small उद्यम की स्थापना	
							• 1200 कुशल पशुसखी /पैरावेट को ग्रामीण स्तर पर सेवाओं हेतु प्रशिक्षण	• विकास खण्ड स्तर पर 1200 पशुसखी /पैरावेट की सेवाओं की उपलब्धता	
							• 15 किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) र्निमित करना ।	• 15 किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) की गठन एवं value additional product की उपलब्धता	
							• 175 संग्रहण केन्द्रों व 25 कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना।	• संग्रहण केन्द्रों व कृषि सेवा केन्द्रों के निर्माण से सबंधित सेवाओं की ग्रामीण स्तर पर उपलब्धता	
							• 3000 अति गरीब परिवारों को आय अर्जक गतिविधियों से लाभान्वित करना।	• 3000 अति गरीब परिवारों को आय अर्जक गतिविधियों से आच्छादन कर उद्यमिता विकास	
							• 39,000 परिवारों को डेयरी, बकरीपालन एवं मुर्गीपालन हेतु रेखीय विभागों की योजनाओं से	• 39,000 परिवारों को डेयरी, बकरीपालन एवं मुर्गीपालन हेतु रेखीय विभागों की योजनाओं से	

							Convegence कर लाभान्वित करना। • 9250 स्व–नियोजित लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण, शिक्षुता और मूल्य श्रृंखला उद्यमिता के माध्यम से स्थापित करने में सहयोग। • 250 युवाओं को ग्रामीण इन्कयूबेशन कार्यक्रम के माध्यम से उद्यम विकास आधारित गतिविधियों से जोडना। **रणनीति** : उपरोक्त गतिविधियों को आइफैड और उत्तराखंड शासन के वित्त सहयोग, रेखीय विभागों की योजनाओं से Convegence, उपासक द्वारा बैंक लिंकेज एवं लाभाथी Contribution एवं प्राइवेट संस्थाओं के सहयोग से कराया जाना।	Convegence कर इनपुट सेवाओं की उपलब्धता • 9250 स्व–नियोजित उद्यमियों का आय अर्जक गतिविधियों में कौशल एवं क्षमता विकास और चयनित मूल्य श्रृंखला में उद्यम स्थापन/रोजगार • 250 युवाओं को ग्रामीण इन्कयूबेशन के माध्यम से क्षमता विकास एवं उद्यम स्थापन	

विभाग के अर्न्तगत प्रस्तावित एस.डी.जी. 1, 9

सतत् विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप

क्र. स..	योजना का नाम	SDG संकेतक	1.4.2022 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.3.2023 की सम्भावित (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित Projected आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2023–24	परिकल्पित Projected आउटकम (भौतिक स्थिति) 2023–24
1	2	3	4	5	6	8
1	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)	**Goal-1 Sub-Goal (1.1)** a) Household deprived (SECCs) (lakhs)–Rural- 434614 b) Propotion of population deprived rural – 4.29 **Sub-Goal (1.2.1)** a) No. of functional SHGs- 59027 b) No of credit Linked SHGs under NRLM - 45308 c) Proportion of population living below the State poverty line –	स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 36264 ग्राम संगठन की स्थापना– 4255 कलस्टर लेबिल फैडरेशन – 258 बुक कीपर प्रशिक्षण– 33316 आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित–1608 स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना– 36264 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड– 33316 स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना– 18317 स्वंय सहायता समूहों का बैंक लिंकेज– 29308	स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 56264 ग्राम संगठन की स्थापना– 5755 कलस्टर लेबिल फैडरेशन – 353 बुक कीपर प्रशिक्षण– .39316 आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित– 1780 स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना– 56264 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड– 39316 स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना– 24317 स्वंय सहायता समूहों का बैंक लिंकेज– 45308.	• स्वयं सहायता समूहों का गठन/पुनर्गठन – 5000 • ग्राम संगठन की स्थापना– 1200 • कलस्टर लेबिल फैडरेशन – 120 • बुक कीपर प्रशिक्षण– 8500 • आंतरिक सी0आर0पी0 प्रशिक्षित– 120 • स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलना– 5000 • स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड– 8000 • स्वयं सहायता समूहों का सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराना– 8000 • स्वंय सहायता समूहों का बैंक लिंकेज– 10000	24317 स्वयं सहायता समूहों के 1.25 लाख सदस्यों को आजीविका संवर्द्धन से जोड़ा जायेगा।
1.2	आजीविका (डे–एन.आर.एल.एम.)– स्टार्ट–अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP)	Goal-1 Enterprize establishment- 2160	प्रथम चरण के • विकासखण्डों में बेस लाईन सर्वे पूर्ण। • सी.आर.पी.ई.पी. चयन • बी.आर.सी. कार्यालय स्थापना 1244 उद्यमों की स्थापना पूर्ण कर दी गयी है।129	• 1928 उद्यमों की स्थापना पूर्ण दिसम्बर, 2023 तक 527 उद्यम स्थापित किये जायेगे।	• ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापना – 250 द्वितीय चरण के विकासखण्डों में। • बेसलाईन सर्वे द्वितीय चरण के विकासखण्डों में।	ग्राम स्तर पर उद्यम स्थापना – 250
1.3	आजीविका (डे–एन.आर.एल.एम.)– महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP)	Goal-1 District-- ..04 Block- .04 Mahila kisan selection-5000 Local group- 100 Kirshi shaki-100 Pashu shaki-250 CHC-75	• प्रथम चरण के 4016 विकासखण्डों में बेस लाईन सर्वे	• 5016 महिला किसानों का चयन कर कार्य प्रारम्भ 294 कृषि एवं पशु सखी का चयन	• प्रथम चरण में 5016 महिला किसानों का प्रशिक्षण किया जायेगा • लोकल ग्रुप – 10 • सी.एच.सी.– 162	1250 महिला किसानों को प्रशिक्षित कर इनका आजीविका संवर्द्धन किया जायेगा।
2	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	**Goal-1 Sub-Goal (1.1)** c) No.of deprived HHs provided skill training programme	वित्तीय वर्ष 2023 तक 25000 युवक–युवतियों के प्रशिक्षण के लक्ष्य के सापेक्ष 13654 युवक–युवतियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष 01.04.2022 तक 8114 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण करते हुए	17453 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जायेगा है जबकि 8930 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण उपरांत रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।	योजना को पूर्ण किये जाने की अवधि माह मार्च 2023 तक है। .	ग्रामीण गरीब परिवारों के युवक–युवतियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराते हुए गरीब परिवारों का सतत् रुप से सामाजिक तथा आर्थिक

			2375 अभ्यर्थियों को रोजगार से जोडा जा चुका है।			उन्नयन करना है।
3	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	**Goal-1 Sub-Goal (1.3)** a) Percentgage of active jobcard holding HHs getting employment under MGNREGS- 54.01 b) Avg. days of employment under MGNREGS- 30.09	243.22 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए 5.73 लाख परिवारों के 7.92 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा 30944 परिवारों द्वारा 100 दिन का रोजगार पूर्ण किया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजना ने जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना एवं व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों के रूप में आजीविका संवर्द्धन तथा कृषि क्षेत्र के विकास में अप्रत्यक्ष रूप से भी योगदान किया।	मार्च 2023 तक कुल 200.00 लाख मानव दिवस सृजित किये जायेगे।	कुल 200.00 लाख मानव दिवसो का सृजन किया जाएगा तथा कुल धनराशि ₹ 710.00 करोड़ का व्यय किया जायेगा।	1) श्रम रोजगार – स्थानीय स्तर पर 6.00 लाख परिवारों को श्रम रोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ 1.50 लाख कार्य कराये जायेंगे। 2) आजीविका संवर्द्धन – लगभग 30000 लाभार्थियों को उद्यान, चाय तथा अन्य गतिविधियों से लाभान्वित कर आजीविका से जोड़ा जायेगा।
4	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	**Goal-1 Sub-Goal (1.3)** A आवास प्लस सूची के आधार पर आवंटित लक्ष्य –**35074** 1.Total target allotted from Awaas Plus list =**35074** 2. Total sanction house out of available beneficiaries= **31886** 3. Total house completed against sanction= **15313** c) Percentage of rural HHs have pacca house 48%	––– 2020–21 एवं 2021–22 का लक्ष्य– 16472 लक्ष्य के सापेक्ष स्वीकृति– 15512 पूर्ण आवास– 2210	आवास प्लस सूची से प्राप्त लक्ष्यों के सापेक्ष कुल 16048 आवास पूर्ण किये जायेगे।	• आवास प्लस सूची से वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु सम्भावित लक्ष्य 15000 की पूर्ति होगी। • वित्तीय वर्ष 2020–21 के 221 एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 के 65 आवासों को पूर्ण किया जायेगा।	आवास प्लस सूची की स्थाई प्रतीक्षा सूची मेंसम्मिलित पात्र ग्रामीण परिवारों को शासकीय अनुदान देकर बुनियादी सुविधा युक्त पक्के मकान के निर्माण से लाभार्थी परिवारों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा।
5	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम फण्ड की धनराशि (नये फण्डिंग पैटर्न के अनुसार 90:10)	**Goal-9 Sub-Goal (9.1)** (a) 9.1 ग्रामीण मार्गो का भौतिक एवं सम्पर्क संयोजन मार्गो का निर्माण (किमी0) बसावटों का संयोजन (संख्या) 34 चालू सडकें 912.00 किमी0 का निर्माण किये जाने का लक्ष्य है। (b) No. of Village link under PMGSY - Nil	उक्त योजना के अन्तर्गत 18628 किमी0 मार्गो का निर्माण किया गया तथा 1812 बसावटों को संयोजकता प्रदान की गई है।	912 किमी0 लम्बे मार्गो का निर्माण कर 34 बसावटों को संयोजकता प्रदान की गई है।	1300 किमी0 लम्बे मार्गो का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।	ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी की समस्त असयोंजित बसावटों को बारहमासी मार्गो से सम्पर्क प्रदान किया जायेगा ताकि उनकी आर्थिक एवं समाजिक सेवाओं तक पहुंच हो सके एवं कृषि आय और लाभदायक रोजगार के अवसरों का अधिक मात्रा में सृजन हो सके।
1	आईफैड(बाह्य सहायतित) ग्रामीण उद्यम वेगवृद्धि परियोजना	• SDG 1 - end poverty; • SDG 2 - zero hunger;	—	—	• 4000 अति गरीब 1200 पशुसखी, मूल्य आधारित श्रृंखलों से जोड़कर 2691 परिवारों को Nano / Micro / Small उद्यम से जोडकर आय अर्जक गतिविधियों से लाभान्वित करना। • परियोजना अन्तर्गत 461 आजीविका संघ/कलस्टर लेवल फैडरेशनों के माध्यम से 3,50,000 ग्रामीण गरीब परिवारों की उद्यम आधारित आजीविका वृद्वि • परियोजना क्षेत्र के 3,50,000	• 44000 अति गरीब 1200 पशुसखी, मूल्य आधारित श्रृंखलों से जोड़कर 2691 परिवारों को Nano / Micro / Small उद्यम से जोडकर आय अर्जक गतिविधियों से आच्छादन कर उद्यमिता विकास • परियोजना अन्तर्गत 461 कलस्टर लेबल फेडरेशन /आजीविका संघ के किसानों की आय अर्जक गतिविधियों से आच्छादन एवं क्षमता विकास

		• SDG 5 - gender equality • SDG 13 - combat climate change and its impacts.			ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए कल्याण में वृद्धि, और अधिक सामाजिक रूप से न्यायसंगत और स्थायी समाज का निर्माण कर (gender mainstreame) में जोडना। • परियोजना क्षेत्र में 461 आजीविका संघ/कलस्टर लेवल फैडरेशनों के माध्यम से 3,50,000 परिवारों को Value chain based (VCB) गतिविधियों में Climate Smart Agriculture (CSA) से जोडना।	• परियोजना क्षेत्र के 3,50,000 ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए कल्याण में वृद्धि, और अधिक सामाजिक रूप से न्यायसंगत और स्थायी समाज का निर्माण। • परियोजना क्षेत्र में 461 आजीविका संघ/कलस्टर लेवल फैडरेशनों के माध्यम से 3,50,000 परिवारों को Value chain based (VCB) गतिविधियों में Climate Smart Agriculture (CSA) से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियाँ और समाधान की उपलब्धता।

विभाग का नाम– पंचायतीराज विभाग उत्तराखण्ड

आउटकम/परफॉरमेंस बजट 2023–24

(धनराशि लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देष्य	आऊट ले/बजट		01.04.2022 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आऊटपुट वर्ष 2023–24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023–24	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
राज्य सैक्टर									
1	पंचायत भवन निर्माण (पूँजीगत)	पंचातय भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण	–	2500.00	राज्य में 7791 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 6065 ग्राम पंचायतों मे पंचायत भवन निर्मित।	500 पंचायत भवनों का निर्माण पूर्ण प्रायः है। 31 मार्च तक 500 निमार्ण उपरान्त राज्य के 6565 ग्राम पंचायतें पं0भ0 से संतृप्त हो जाएगें।	250 पंचायत भवनों का निर्माण	ग्राम पंचायतो में भवनों को ग्राम पंचायत कार्यालय के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।	मार्च 2024
2	पंचायत भवन मरम्मत	मरम्मत योग्य पंचायत भवनों की मरम्मत कार्य	600.00	–	राज्य में 7791 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 1249 पंचायत भवन मरम्मत योग्य है।	वित्तीय वर्ष 2022–23 मे 150 पंचायत भवनों की मरम्त हेतु रू0 6.00 करोड आवंटित। 31 मार्च तक 150 भवनों की मरम्मत पूर्ण की जाएगी।	150 पंचायत भवनों की मरम्मत	ग्राम पंचायतो में भवनों को ग्राम पंचायत कार्यालय के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।	मार्च 2024
3	निर्वाचित प्रतिनिधियें व कर्मचारियें का प्रशिक्षण (राजस्व)	त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों व कर्मचारियों को क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा	5.00	–	वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त मदान्तर्गत रू0 50. 00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।	लगभग 1000 त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों का क्षमता विकास प्रशिक्षण किया जाएगा।	वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 50.00 लाख की मॉग की गयी है, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण किया जाएगा।	प्रतिनिधि अपने दायित्वों के निर्वाहन मे सक्षम हो सकेगे साथ ही राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को धरातल में कियान्वययन कर पायेगे।	मार्च, 2024
केन्द्र पोषित									
4	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर0जी0एस0ए0)	ग्राम पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं में प्रशिक्षणों के माध्यम से समग्र विकास	14002. 00	–	200 पंचायत भवन निर्माणाधीन, 100 पंचायत भवनों में एक्सटेंशन हॉल निर्माणाधीन 70000 पंचायत प्रतिनिधियों ,कार्मिका एवं रेखीय विभागों के अधिकारियों का प्रशिक्षण का लक्ष्य, 95 विकास खण्डों में कॉम्पैक्टर स्थापना का लक्ष्य, 2000 प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर एवं 2500 जनप्रतिनिधियों का राज्य के भीतर उत्कृष्ट पंचायतों का अध्ययन भ्रमण का लक्ष्य,	वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा रू0 116.72 की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में मार्च 23 तक समस्त 70000 प्रतिनिधियां एवं कार्मिकों को क्षमता विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त 95 विकास खण्डों में कॉम्पैक्टर स्थापना की जाएगी। 2000 प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर एवं 2500 जनप्रतिनिधियों का राज्य के भीतर उत्कृष्ट पंचायतों का अध्ययन भ्रमण पूर्ण कर लिया जाएगा।	राज्य के लगभग 70,000 त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का विभिन्न विषयों पर क्षमता विकास प्रशिक्षण कराया जाएगा, जिससे वे अपने दायित्व एवं कर्तव्य, अधिप्राप्ति आदि विषयों की जानकारी प्राप्त कर पंचायत स्तर पर अमल में ला सकेंगे। राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का ग्राम पंचायत स्तर तक क्रियान्वयन कर पाएगे, तथा ग्राम पंचायत के कार्य डिजिटल रूप से कर सकेंगे जिससे आम जनमानस भी डिजिटलाईजेशन की ओर बढ़ेगा।	पंचायत प्रतिनिधि मूल भूत अधिकारों एवं दायित्यों के निर्वहन में सक्षम हो सकेगे। पंचायत प्रतिनिधियों का एक्सपोजर विजिट।	मार्च, 2024

सतत् विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूपः–

क्र. सं.	SDG संकेतक	01.04.2022 की स्थिति (भौतिक)	31.03.2023 को संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2023–24	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2023–24
1	5.5.2 पंचायतों में कुल निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत	52.56 प्रतिशत (37129 भौतिक)	52.56 प्रतिशत (37129 भौतिक)	52.56 प्रतिशत (37129 भौतिक)	52.56 प्रतिशत (37129 भौतिक)
2	10.2.2 पंचायतों में महिलाओं द्वारा जीती गई सीटों की संख्या का प्रतिशत 10.2.4 पंचायतों में एस0सी0/एस0टी0 द्वारा जीती गयी सीटों की संख्या का प्रतिशत	52.56 प्रतिशत (37129 भौतिक) 23.27 प्रतिशत (16433 भौतिक)	52.56 प्रतिशत (37129 भौतिक) 23.27 प्रतिशत (16433 भौतिक)	52.56 प्रतिशत (37129 भौतिक) 23.27 प्रतिशत (16433 भौतिक)	52.56 प्रतिशत (37129 भौतिक) 23.27 प्रतिशत (16433 भौतिक)
3	16.7.2 पंचायतों में कुल निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत 16.7.4 एस0सी0 /एस0टी0 संख्या पंचायतों में प्रतिशत 16.9.1 पंजीकृत जन्म प्रतिशत में	52.56 प्रतिशत (37129 भौतिक) 23.27 प्रतिशत (16433 भौतिक) आवेदन के सापेक्ष 100 प्रतिशत	52.56 प्रतिशत (37129 भौतिक) 23.27 प्रतिशत (16433 भौतिक) आवेदन के सापेक्ष 100	52.56 प्रतिशत (37129 भौतिक) 23.27 प्रतिशत (16433 भौतिक) आवेदन के सापेक्ष 100	52.56 प्रतिशत (37129 भौतिक) 23.27 प्रतिशत (16433 भौतिक) आवेदन के सापेक्ष 100

आउटकम बजट 2023—24

विभाग का नामः— ग्रामीण निर्माण विभाग

(धनराशि लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट—ले / बजट		01.04.2022 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2023—24	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2023—24	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**निदेशन एवं प्रशासन**	विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतन भत्ते एवं कार्यालय का संचालन हेतु व्यय	5585.62	—	—	—	विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय का संचालन किया जायेगा।	समस्त विभागीय कार्यो का सम्पादन सुचारू रूप से होगा।	1 वर्ष
2	**ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज (नाबार्ड पोषित)**	संयोजकता से वंचित ग्रामों को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु	—	5000.00	माह मार्च, 2022 तक 329.852 किमी0 लम्बाई में कुल 175 मार्गो का निर्माण किया गया।	माह मार्च, 2023 तक कुल 23 ग्रामीण मोटर मार्गो का निर्माण किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष 2023—24 में 63.208 किमी0 लम्बाई में कुल 33 ग्रामीण मोटर मार्गो को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ा जाना है।	63.208 किमी0 लम्बाई में ग्रामीण मोटर मार्गो के निर्माण से 43 ग्रामों को मुख्य मोटर मार्गो से संयोजित किया जायेगा, जिससे लगभग 22082 की जनसंख्या लाभांवित होगी। 02 पैदल लौह सेतुओं के निर्माण से ग्रामीणों को सर्वत्रऋतु योग्य पैदल मार्ग उपलब्ध कराया जायेगा।	1 वर्ष
3	**ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज (राज्य सैक्टर)**	संयोजकता से वंचित ग्रामों को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु	—	500.00	माह मार्च, 2022 तक 19.961 किमी0 लम्बाई में कुल 29 मार्गो का निर्माण किया गया।	माह मार्च, 2023 तक कुल 05 ग्रामीण मोटर मार्गो का निर्माण किया जायेगा।	वित्तीय वर्ष 2023—24 में 1.00 किमी0 से कम लम्बाई के कुल 03 ग्रामीण मोटर मार्गो एवं 02 पैदल लौह सेतुओं (25 मीटर स्पान) का निर्माण कराया जायेगा। तथा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा भविष्य में की जाने वाली घोषणाओं का क्रियान्वयन / पूर्ति की जायेगी।		1 वर्ष
4	**ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अनावासीय भवनों का निर्माण (राज्य सैक्टर)**	शासकीय अनावासीय भवनों का निर्माण	—	150.00	—	—	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड कोटद्वार एवं प्रखण्ड घनसाली के कार्यालय भवन का निर्माण कराया जायेगा।	विभागीय कार्यालय भवनों के निर्माण से शासकीय कार्यो के संचालन में सुविधा होगी तथा प्रति माह किराये के भवनों पर होने वाले व्यय से राजस्व की बचत होगी।	1 वर्ष